न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :— इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 210 / 2015 / डिक्री

गंगाराम पिता जयचंद गाडरी
निवासी नाडा खेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्ट

बनाम

1. हजारी पिता रूपा गाडरी
2. भुरालाल पिता गब्बा गाडरी
3. हीरालाल पिता नारायण गाडरी
4. कालु पिता जयचंद गाडरी
5. टीला पिता जयचंद गाडरी
6. गोपीबाई पत्नि जयचंद गाडरी
   सभी निवासी नाडा खेडा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
7. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
दिनांक 14.07.2015 प्रकरण सं. 78 / 2015

उपस्थित — 1. श्री महेन्द्र कुमार खारोल — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री खुमराज कुमावत — रेस्पोडेन्टस — 1

निर्णय   दिनांक— 26.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हजारी ने वादी बनकर एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम आजमपुरा पटवार हल्का मोरवन तहसील डूंगला मे स्थित जो निम्न है, खाता संख्या 48 आराजी नम्बर 53 रकबा 0.5690 है0, खाता संख्या 49 आराजी नम्बर 54 रकबा 0.7720 है0 आराजी नम्बर 55 रकबा 0.1010 है0 आराजी नमबर 61 रकबा 0.7210 है0 कुल खसरा 3 रकबा 1.5940 है0। इस प्रकारर वादी हजारी ने अपने वादपत्र मे अंकित किया स्व. लखमा के चार वारिस थे जो क्रमशः स्व0 गब्बा, जयचंद, नारायण, रूपा थे जिनका नाम लखमा की मृत्यु के पश्चात् विरासत से नामान्तकरण दर्ज होकर जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 मे दर्ज हो गये और चारो विरासन का बराबर 1/4, 1/4, हिस्सा होकर काबिज होकर काश्त कर रहे है किन्तु दौराने जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2016 से 2018 के वक्त परिवर्तन राजस्व कर्मियो की भूल से वादी हजारी के पिता स्व0 रूपा का नाम अंकन हो जाने से रह गया, इसलिये उक्त जमाबन्दी मे वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात पक्षकारान के

पूर्वज स्व0 गब्बा जयचंद एवं नारायण के ही नाम पर रह गई और इनका 1/3, 1/3 हक हिस्सा दर्ज रह जो वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज रिकार्ड है।

2. यह कि ग्राम आजमपुरा की आराजी नम्बर 54 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 55 रकबा 8 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 61 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्व0 गब्बा जयचंद एवं हीरा (नारायण का वारिस) के नाम पर 1/3, 1/3 दर्ज रिकार्ड थी, जिसमे से हीरा पिता नारायण नें अपने तत्कालीन 1/3 हक हिस्से को अपीलान्ट गंगाराम को दिनांक 05/04/1986 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से बिकाव कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। उक्त आराजीयात मे उक्त बिकाव के आधार पर हीरा पिता नारायण की जगह अपीलान्ट गंगाराम का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 04/07/1993 से राजस्व रिकार्ड मे 1/3 दर्ज हो गया। खाता संख्या 48 की आराजी नम्बर 53 रकबा 0.5690 है0 मे गब्बा के वारिस 1/3 एवं जयचंद के वारिस 1/3 तथा हीरा पिता नारायण 1/3 जमाबन्दी संवत् 2068 से 71 मे दर्ज है। इसी तरह खाता संख्या 49 की आराजी नम्बर 54,55,61 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5940 है0 मे गब्बा के वारिस 1/3 जयचंद के वारिस 1/3 तथा अपीलान्ट गंगाराम पिता जयचंद 1/3 दर्ज चला आ रहा था जो पूर्णतः दुरस्त अंकन था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं डिक्री मे वादी हजारी का 1/4 हिस्सा घोषित कर पुनः नाम रिकार्ड मे दर्ज किया जाने के कारण वादग्रस्त आराजीयात के रिकार्ड मे चार हिस्सा होने के कारण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा हो गया। इसलिये आराजी नम्बर 54,55,61 मे अपीलान्ट का अपने विरासती हक हिस्से के अलावा हीरा से खरीदे हुए 1/4 हक हिस्से को अपीलान्ट के नाम पर दर्ज नही कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही वास्तविक स्थिति जाने बगैर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प चिकारडा मे जल्दबाजी कर वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिवादी हीरा पिता नारायण द्वारा अपीलान्ट को विक्रीत आराजी नम्बर 54,55,61 कुल किता 3 रकबा 1.5940 है0 मे पुनः प्रतिवादी हीरा का 1/4 हिस्सा घोषित कर दिया जबकि उक्त आराजीयात मे हीरा पिता नारायण 1/4 के बजाय गंगाराम पिता जयचंद 1/4 हक हिस घोषित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति है जिसे वाद मे अंकित तथ्यो की जानकारी नही थी। कैम्प चिकारडा मे भाई बन्धो एवं राजस्व कर्मियो के दबाव के कारण वाद पत्र की वस्तुस्थिति एवं चाहे गये अनुतोष की जानकारी के अभाव मे जल्दबाजी मे अंगूठा

निशानी कर दी। वादग्रस्त समस्त आराजीयात हक हिस्से के अलावा खाता संख्या 49 की आराजी नम्बर 54,55,61 मे हीरा पिता नारायण से खरीदे गये हक हिस्से बाबत् कोई दखलंदाजी नही चाहता था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा खरीदे गये आराजीयात को पुनः हीरा पिता नारायण के नाम पर 1/4 घोषित पर कानूनी भूल की है जिसको निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14/07/2015 को अपास्त किया जाकर उसके हक व हिस्से को उसके नाम नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत रिकार्ड मे रूपा का नाम राजस्व रिकार्ड मे छुट गया है जिसका पुत्र हजारी धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद लेकर आया है। जमाबन्दी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ढंग से देखा नही गया है। हीरा का ना तो दावा है तथा न ही प्लीडिंग है। वह पहले ही 1986 मे गंगाराम पुत्र जयचन्द को दिनांक 05/04/1986 को अपना हिस्सा बेच चुका है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे किसी प्रकार की विधिक भूल नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड एवं तथ्यो का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला द्वारा प्रकरण संख्या 78/2015 दिनांक 14/07/2015 मे पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण मे विस्तृत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़